भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2342
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना

†2342. **श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम रिसर्च चेयर योजना की शुरुआत से लेकर अब तक प्राप्त आवेदनों और चयनित शोधकर्ताओं की वर्ष-वार, राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के किसी शोधकर्ता ने उक्त योजना के तहत आवेदन किया है या उसका चयन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के किसी संस्थान का उक्त योजना के तहत मेजबान संस्थान के रूप में चयन किया गया है और यदि हां, तो ऐसे संस्थानों की सूची संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश के अनुसंधान और नवाचार में वापस लौटने और योगदान देने के लिए भारतीय मूल के अधिक शोधकर्ताओं, विशेष रूप से तेलुगु राज्यों के शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को बहु-विषयक, समावेशी और शिक्षार्थी केंद्रित व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार और अनुमोदित की है। इस नीति का लक्ष्य उच्चतर शिक्षा के मुख्य घटकों के रूप में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देते हुए न्यायसंगतता, गुणवत्ता में और शिक्षा तक सभी की पहुँच में वृद्धि करना है।

एनईपी 2020 की अनुसरण में, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले विषय क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श और संस्थागत क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत की उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान अनुभव से युक्त भारतीय मूल के विशिष्ट शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों तथा पेशेवरों को आकृष्ट और नियोजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अनुसंधान पीठ (पीएमआरसी) योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत तीन श्रेणियों नामतः अनुसंधान पीठ, वरिष्ठ अध्येता और युवा अनुसंधान अध्येता में अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।

अध्येता हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही, पीएमआरसी योजना में मेजबान संस्थान के रूप में शामिल होने के लिए पात्र संस्थानों से भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये संस्थान चयनित विषय क्षेत्रों के अनुरूप भारतीय मूल के शीर्ष शोधकर्ताओं को नियोजित करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं।

योजना की व्यापकता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों के सहयोग से पात्र अभ्यर्थियों के बीच योजना संबंधी जागरूकता के लिए कदम उठाए हैं। योजना का विवरण, अध्येताओं और मेजबान संस्थानों के लिए अर्हता मानदंड https://pmrc.education.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को वापस आने हेतु प्रोत्साहित करने तथा भारत के अनुसंधान और नवाचार में योगदान देने के लिए इंस्पायर एवं वैभव सहित कई योजनाएं बनाई हैं। इंस्पायर (इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च) फैकल्टी योजना विदेशों में रह रहे भारतीय शोधकर्ताओं को अपने संबंधित क्षेत्र में भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में काम करने के आकर्षक संभावित मार्ग और अवसर प्रदान करती है, जबकि वैभव (वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक) विशेष रूप से भारतीय मूल के लोगों (अनिवासी भारतीय/भारत के विदेशी नागरिक) के लिए एक अध्येतावृत्ति कार्यक्रम है, इन अध्येताओं को आईआईटी हैदराबाद सहित विभिन्न भारतीय संस्थानों में कार्य करने की सुविधा प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने भारतीय विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विज्ञान व इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में शोध कार्य जारी रखने के लिए विदेशों में कार्यरत प्रतिभावान भारतीय/भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नियोजित करने के लिए रामानुजन अध्येतावृत्ति योजना भी तैयार की है। अध्येताओं को मिलने वाली सहायता राशि में पाँच वर्ष की अवधि के लिए ₹7 लाख प्रति वर्ष के अनुसंधान अनुदान के साथ-साथ ₹1.35 लाख प्रति माह की समेकित अध्येतावृत्ति भी शामिल है।
